P1 | R.M.M Law College- Saharsa Marvendra Mandal parttime Lecturer | Subject- Drafting and Pleading, part — II

संशोधन एवं न्यायिक विवेक (Amendment and Judicial Discretion)

अभिवचनों के संशोधित करने का दावा अधिकार के रूप में (as of right) नहीं किया जा सकता, बल्कि वह न्यायालय की इच्छा (discretion) पर निर्भर करता है। लेकिन इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि उस इच्छा का प्रयोग मनमाने ढंग से किया जाय जिससे कि विपक्षी के साथ अन्याय हो। न्यायधीशों को यह प्रदत्त शक्ति न्यायिक विचारों द्वारा शासित होती है। यह भी धारण किया जा चुका है कि उक्त न्यायिक विवेक का प्रयोग करने में ध्यान रखने योग्य बातें यह है कि प्रक्रिया के नियमों का उद्देश्य इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है कि न्यायप्रशासन के कार्य को सुविधा जनक बनाया जाय, कि वादों के बहुतायात को रोका जाय, तथा सारभूत न्याय के हित को आगे बढ़ाया जाय। अनेक निर्णयों के फलस्वरूप कई सिद्धान्त सुनिश्चित हो चुके हैं जिनको ध्यान में रखते हुए न्यायिक विवेक का प्रयोग करना चाहिए। अनेक निर्णयों का उल्लेख करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पिल्लई बनाम पिल्लई के वाद में निर्णयों का अवलोकन इस प्रकार किया है-

F-2 संशोधन एवं न्यायिक विवेक
(Amendment and Judicial Discretion)

यह सत्य है कि संशोधन दावा अधिकार के रूप में (as of right) नहीं किया जा सकता, किन्तु यह भी समान रूप से सत्य है कि संशोधनों के आवेदनों पर निर्णय देते समय न्यायालयों को अत्यन्त तकनीकी दृष्टिकोण का होना चाहिए। इस सम्बन्ध में सामान्य नियम उदार दृष्टिकोण का होना चाहिए विशेषकर उन मामलों में जहाँ दूसरे पक्षकार के नुकसान की भरपाई क्षतिपूर्ति के द्वारा की जा सकती है।"

Scanned with CamScanner